



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSA 27, 1935

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

**का.आ. 121(अ).**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 3 और 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़ दिए गए कार्यों के अलावा, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 की पूर्व अधिसूचना का.आ. 3095(अ) के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रधान सचिव, ग्राम एवं नगर नियोजन, हरियाणा सरकार, ग्राम एवं नगर नियोजन उपमंत्री, हरियाणा सरकार को नामित करती है।

मुख्य अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 के का.आ. सं. 3095(अ) के तहत जारी की गयी थी।

[सं. के-11019/3/2012-डीडी VI]  
अभिजीत बक्शी, उप सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

**S.O. 121 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) read with rule 3 and 4 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 and in continuation of the earlier Notification S.O. 3095(E) dated 11th October, 2013 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby nominates Principal Secretary, Town and Country Planning, Government of Haryana Vice Minister of Town and Country Planning, Government of Haryana in the National Capital Region Planning Board.

The principal notification was issued vide S.O. No. 3095(E) dated 11th October, 2013.

[No. K-11019/3/2012-DDVI]  
ABHIJIT BAKSHI, Dy. Secy.